भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3009
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

अन्न चक्र संबंधी पहल

3009. श्री दिलीप शइकीया:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दुलू महतो:
श्री अरुण गोविल:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्नचक्र संबंधी पहल से प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत की पुष्टि करने के लिए तीसरे पक्ष से स्वतंत्र संपरीक्षा अथवा समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने राज्यों ने अन्न चक्र को अपने संभार-तंत्र कार्यों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और क्या झारखंड ने भी सफलतापूर्वक ऐसा किया है;

(घ) क्या सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए कोई लाभार्थी सर्वेक्षण अथवा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है कि क्या अन्न चक्र से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्नों की यथासमय आपूर्ति में सुधार हुआ है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अन्न चक्र पहल का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): यह बचत परिवहन लागत में संभावित कटौती का अनुमान है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनुकूलन तकनीकों के उपयोग के संभावित लाभों में से एक को दर्शाता है। बचत का अनुमान राज्यों द्वारा बताए गए आंकड़ों से लगाया गया है।

...2/-

(ग): अब तक झारखंड सहित 25 राज्यों ने अन्न चक्र को लागू किया है।

(घ) और (ङ): अन्न चक्र व्यवस्थित डाटा-आधारित आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाता है जो उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करता है।

(च): 'अन्न चक्र' को पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू किया गया है।

*****